कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून।

संख्या–552/ल.सिं./निविदा/2021–22 **अल्पकालीन निविदा** दिनांक: 1.11. 2021

अधोहस्ताक्षरी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से निम्न कार्यों की सील बन्द निविदायें दिनांक 18.11.2021 को विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अपराहन 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 3.00 बजे अपराहन लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 16.11.2021 से दिनांक 17.11.2021 को सांय 4.00 बजे तक उपखण्ड देहरादून में बेची जायेगी। कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं विभागीय शर्तें आदि किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत 3% धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी.एस.टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा की वैधता (माह में)	पंजीकरण श्रेणी
1.	टर्नर रोड लेन 5 गैस गोदाम रोड पर दुर्गा मंदिर के पास रोड निर्माण कार्य।	22500.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
2.	कैंट रोड विष्णुपुरम लेन 4 मोथरोवाला में श्री गौतम पांडे के घर से श्री श्री रमेश चंद नौटियाल से व सुरेश प्रजापति के घर तक नाली निर्माण कार्य।	16000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
3.	केदारपुर से अजबपुर नया गांव में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	30000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
4.	दीपनगर में सामुदायिक भवन का निर्माण।	27000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
5.	डकोटा में श्री हर्षमणि जुयाल के घर के पास नदी पर सुरक्षा कंक्रीट ब्लॉक का कार्य	18000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
6.	गूल मरम्मत कार्य सिरियो।	21000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
7.	आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत कार्य। सुद्धोवाला–3	19500.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
8.	आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत कार्य। मोतीचूर, भगतसिंह कालोनी।	18600.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
9.	ऋषि विहार में दमयंती के घर से संगीता जायरा जी के घर तक सी.सी. निर्माण कार्य।	24300.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
10.	वार्ड सं.08 न्यू कैंट रोड पर चेतन लाला की दुकान से नैथानी स्कूल तक डामरीकरण का कार्य।	30000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
11.	विलासपुर कांडली में केनरा बैंक से टीका रौतेला के घर तक सड़क निर्माण।	23000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
12.	सचिवालय एन्कलेव विलासपुर कांडली में राजकुमार के घर से राजेश कुमार के घर तक सड़क निर्माण।	8100.00	500+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
13.	कंडोली लेन नं. 7 के मुख्य मार्ग से काली मंदिर आशा शर्मा के घर तक सड़क निर्माण।	12000.00	500+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
14.	विलासपुर कांडली के मुख्य मार्ग से राशन की दुकान से भरत जोशी के घर तक सड़क निर्माण।	16500.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
15.	मुख्य मार्ग पर श्री चोपड़ा जी के घर से सोनम शुक्ला तथा डी.के. सिंह पैट क्लीनिक से जी.एस. रावत के घर तक विजय कालोनी लेन नं. 2 में सड़क निर्माण।	24000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
16.	गंगोल पंडितवाड़ी में मुख्य मार्ग से बबली चौहान के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण।	15500.00	500+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
17.	गंगोल पंडितवाड़ी में मुख्य मार्ग से प्रवीण त्रिपाठी के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण।	11500.00	500+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
18.	वार्ड–19 मच्छी बाजार के पास गोपीनाथ में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	15000.00	500+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
19.	आमवाला मंझला में दूधादेवी मंदिर के पीछे बरसाती नदी पर पूर्व निर्मित पुलिया के लिए रियर कोट तथा अप्रोच स्लैब का कार्य।	18000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
20.	सनराईज एकेडमी, रायपुर रोड अधोईवाला में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	30000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
21.	उरेडा कार्यालय भवन की क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी का पुनः निर्माण।	21500.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर

निविदा की शर्तें:–

1. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ कार्य की अनुमानित लागत का 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र , डाकघर सावधि जमा पासबुक तथा किसी भी बैंक द्वारा निर्गत एफ.डी.आर., सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के नाम बंधक हो, स्वीकार की जायेगी।
2. निविदा के साथ रू. 100.00 का स्टाम्प पेपर पर रू. 1.00 की रसीदी टिकट हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
3. बिना धरोहर धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अपूर्ण एवं सषर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा के शेष नियम निविदा प्रपत्र पर भी देखे जा सकते हैं।
6. बिना सील्ड / बन्द लिफाफे के प्राप्त निविदा प्रपत्रों व सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. लिफाफे पर कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
8. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक से मांगना चाहता है, तो वह निविदा प्रपत्र का मूल्य डाक व्यय सहित समय से भेजकर प्राप्त कर सकते हैं,विलम्ब से डाक प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. निविदा में शेडयूल बी0 की मदवार कार्य की अंकित मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदा स्वीकृत होने पर 15 दिन के अन्दर धरोहर धनराशि समायोजित करते हुए पूरी 10 प्रतिषत जमानती धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी और 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बिना अनुबन्ध किसी भी परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा।
11. प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है,तो उसका उत्तरदायित्व द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है,तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरांत ही ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
12. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार आयकर / जी.एस.टी. / रायल्टी एवं अन्य की कटौती की जायेगी।
13. यदि शासन स्तर / उच्च स्तर से कही परिस्थितियों में कार्य रोकने के निर्देश प्राप्त होते हैं तो संबंधित ठेकेदार शासन के निर्देशों के परिपालन में कार्य को रोकना होगा।
14. ठेकेदार द्वारा निविदा की दरें प्रतिशत में मान्य होंगी। एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे हों और वे अनुबन्धक की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों अथवा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न रही हो, उसकी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–के पैरा 364 में दिये गये प्राविधानुसार निर्णय लिया जायेगा।
16. निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से 5 प्रतिषत से अधिक / कम होने पर 'शासनादेश संख्या 6447 / iii(2)ii-20(सा0) / 11 दिनांक 02 जनवरी 2013 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी विभाग को डिपोजिट जमा करनी होगी।
17. संबंधित योजना के मानकानुसार आवश्यकता पड़ने पर कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत नामित सक्षम प्रयोगशाला से टेस्टिंग रिपोर्ट अंतिम भुगतान से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगा।
18. यदि शासन द्वारा अपरिहार्य कारणवष निर्माण रोकने के आदेष दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार के किये गये कार्य के लिए ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नही होगा।
19. निविदा प्रपत्र भरत समय आयकर / पैन नंबर / जीएसटी नंबर / मोबाई नंबर अवश्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा।
20. Defect Liability Period के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1426 / 111(2) / 11–20(सा0) / 11 दिनांक 28 फरवरी 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. निविदा लेने से पूर्व ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, अनुबन्ध करने के बाद कोई भी आपत्ति / क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्त करने या खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित होता है, उस स्थिति में निविदा प्राप्त / खोलने की प्रक्रिया की तिथि अगले कार्य दिवस को की जायेगी।
23. बिल पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा बिल की धनराशि में जोड़कर किया जायेगा, जिसको जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
24. क्र.सं. 21 में उल्लेखित योजना की निविदा स्वीकृति की प्रत्याक्षा में आमंत्रण की जा रही है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही धनराषि प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून।

राज्य स्थापना के दो दशक के बाद उत्तराखण्ड युवा राज्य बना

आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बोधिसत्व विचार श्रृंखला को मुख्यमंत्री ने किया वर्चुवली सम्बोधित

विचार श्रृंखला

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में वर्चुवली आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बोधिसत्व विचार श्रृंखला को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के दो दशक के बाद उत्तराखण्ड युवा राज्य बन चुका है।

पिछले दो दशकों में राज्य के विकास के लिये सतत् प्रयत्न किये गये हैं, जिनका असर धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। इन दशकों में राज्य के विकास का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिये भी कई पहलुओं पर प्रयोग हुए हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक दूरगामी योजना बनाने के लिये समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों एवं विषय विशेषज्ञों को सहयोगी बनाने का हमारा प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोगों ने देश व दुनिया में अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं योग्यता से अपनी पहचान बनायी है। हमारा प्रयास है कि समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, विकास में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिये राज्य के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा के निर्धारण में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों एवं प्रबुद्धजनों को सहयोगी बनाये जाने का हमारा प्रयास है। इसके लिये इस विचार श्रृंखला की शुरूआत की गई है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के मंथन से निकलने वाला अमृत राज्य के लिये हितकारी होगा। उन्होंने कहा कि विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

इस विचार श्रृंखला में जिन विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार एवं सुझाव दिये उनमें पदमश्री कल्याण सिंह रावत, डॉ. दिनेश असवाल निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान, प्रो. अन्नपूर्णा नोटियाल कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, मानवेन्द्र सिंह नेगी संस्थापक मन्दाकिनी आवाज, सुधीर पंत, फिक्की फार स्टार्टअप, प्रहलाद सिंह अधिकारी तकनीकि विशेषज्ञ, डॉ. किशन सिंह राणा, ग्रामीण विकास, डॉ. सिद्धार्थ पाटनी सामुदायिक स्वास्थ्य, प्रो. जे.के.जोशी, प्रो. एस.ए.हामिद भाषा एवं साहित्य विशेषज्ञ प्रमुख रहे।

सीएम धामी लाडपुर में इगास बग्वाल कार्यक्रम में हुए शामिल

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात रिंग रोड, लाडपुर में आयोजित राज्य के लोक पर्व इगास बग्वाल (बूढ़ी दीपावली) कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमारी लोक परम्परा देवभूमि की संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परम्परा उस राज्य की आत्मा होती है, इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये हम प्रयासरत हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति एवं लोक पर्वों से जुड़े इसके भी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इगास बग्वाल से कई एतिहासिक पहलु भी जुड़े हैं।

सीएम ने किया 68.68 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

संवाददाता सितारगंज / देहरादून। मुख्यमंत्री ने टैगोर नगर शक्तिफार्म में किया 68.68 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जनपद उधम सिंह नगर की सितारगंज विधानसभा स्थित टैगोर नगर शक्तिफार्म पहुंचकर 68.68 करोड़ रुपये की कुल 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 29.98 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण व 38.70 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सितारगंज विधानसभा में थारू विकास भवन, अल्पसंख्यक भवन, पर्वतीय विकास भवन एवं बाबासाहेब अंबेडकर भवन बनाए जाने की भी घोषणा की।

प्रदेश को उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य बनाने को सभी को मिलकर करना होगा कार्य

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा जब राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब राज्य देश का श्रेष्ठ आदर्श राज्य होगा। उन्होंने कहा कि उस समय पर राज्य सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्टता पर होगा। प्रदेश को उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य बनाने हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2017 से राज्य सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 17375 नौकरियाँ दी है। उन्होने कहा कि विकास कभी रूकना नही चाहिए। उन्होने कहा कि राज्य में एनडी तिवारी का कुछ लोगों ने सम्मान नही किया बल्कि कमरा बन्द कर देते थे। परन्तु हमारी सरकार ने उनके जन्मदिवस पर पन्तनगर सिडकुल का नाम उनके नाम पर करते हुए सम्मान दिया है। उन्होने कहा कि गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इस बात को ध्याने में रखते हुए सितारगंज चीनी मिल को भी शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, केबीनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, सुबोध उनियाल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, विधायक सौरभ बहुगुणा ने भी अपने विचार रखे।